

२७.०२.१८

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० उप०।
आरोपी शैलेन्द्र न्यायिक निरोध से उपजेल गोहद से ~~देखी नहीं~~
केवल जेलवारंट ~~विविध~~ पेश/की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जादौन
उप०।

प्रकरण आज उपार्पण हेतु नियत है।

आज दिनांक को उपार्पण पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये
गये।

उपार्पण पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र एण्डोरी द्वारा अपराध क्रमांक
108/17 अंतर्गत धारा 456, 376, 450 भा.द.सं के अधीन आरोपी
शैलेन्द्र सिंह तोमर के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया
है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम
दृष्ट्या आरोपी के विरुद्ध धारा 466, 376, 450 भा.द.सं के विचारण
के पर्याप्त तथ्य विद्यमान हैं आरोपी पर आरोपित अपराध अनन्य रूप
से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। अतः प्रस्तुत
प्रकरण द.प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय
मिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है।


आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग
पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी
है।

फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है।

प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में हैं अतः सब जेलर गोहद को
निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत दिनांक 12.03.2018
को प्रातः 11:00 बजे आरोपी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
महोदय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। उक्त संबंध में
जेल वारंट पर टीप अंकित की जावे।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर एवं जिला लोक
अभियोजन अधिकारी मिण्ड को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय मिण्ड को प्रेषित किये जावे।


(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जे०एम०एफ०सी०, गोहद